

बाघ एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस आलेख में बाघों की वर्तमान स्थिति तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में चतुर्थ बाघ जनगणना, 2018 जारी की गई है, इस जनगणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं और भारत में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बाघों की संख्या वर्ष 2006 में 1411, वर्ष 2010 में 1706 तथा वर्ष 2014 में 2226 थी। बाघों की संख्या वृद्धिमान आँकड़े बाघ परियोजना अर्थात् प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को इंगित करते हैं। वर्ष 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य भारत ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। हालाँकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA) के अनुसार, भारत में टाइगर रजिस्टर की क्षमता के अनुसार अधिकतम 3000 बाघ ही हो सकते हैं।

सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010

(St. Petersburg Declaration 2010)

- ऐसे 13 देश जिनमें बाघों का प्राकृतिक नवास है, वैश्विक बाघ पुनःप्राप्ति कार्यक्रम (Global Tiger Recovery Program) पर सहमत हुए।
- इस घोषणा में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया।
- भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं। ये सभी देश वैश्विक बाघ पुनःप्राप्ति कार्यक्रम के भागीदार हैं।

बाघों की बढ़ती आबादी मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict-MAC) के रूप में सामने आई है। बढ़ती जनसंख्या और सकिड़ते प्राकृतिक वन्यजीव आवासों के कारण मानव एवं वन्यजीवों के बीच भोजन एवं आवास, जैसे विभिन्न कारणों की वजह से संघर्ष की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।

- MAC धीरे-धीरे विश्व के विभिन्न भागों में कई प्रजातियों के जीवन के लिये सबसे बड़े खतरे के रूप में स्थापित होता जा रहा है, इसके साथ ही यह स्थानीय आबादी के लिये भी गंभीर खतरों को उत्पन्न कर रहा है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2017 की अवधि में बाघ, हाथी आदि द्वारा 1600 से भी अधिक लोगों को मारने के मामले सामने आए हैं।

क्या है मानव-वन्यजीव संघर्ष की परिभाषा?

वन्यजीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष की इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्या को जैव विविधता से जोड़ते हुए विशेषज्ञ नरितर चेतावनी देते रहे हैं कि मानव के इस अतिक्रमक व्यवहार से पृथ्वी पर जैव असंतुलन बढ़ रहा है। विज्ञान तथा तकनीकी विकास के चलते वन्यजीवों की हिसा से उत्पन्न होने वाले भय तथा नुकसान से मनुष्य नश्वरिचि रूप से लगभग मुक्त हो चुका है। वन्यजीव अपने प्राकृतिक पर्यावास की तरफ स्वयं रुख करते हैं, लेकिन एक जंगल से दूसरे जंगल तक पलायन के दौरान वन्यजीवों का आबादी क्षेत्रों में पहुँचना स्वाभाविक है। मानव एवं वन्यजीवों के बीच संघर्ष का यही मूल कारण है। मानव तथा वन्यजीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क की वजह से मनुष्यों, वन्यजीवों, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव-वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी में आते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धिके कारण

आवास की क्षति: भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सरिफ 5 प्रतशित हसिसा ही संरक्षति क्षेत्र के रूप में वदियमान है। यह क्षेत्र वन्यजीवों के आवास की दृषटसे पर्याप्त नहीं है।

- बाघ जैसे वन्यजीव के लयि लगभग 60-100 वर्ग कमी. क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कति कुछ टाइगर रज़िरव जैसे-महाराष्ट्र में स्थति बोर टाइगर रज़िरव का कुछ क्षेत्र ही लगभग 140 वर्ग कमी. है।
- एक ओर संरक्षति क्षेत्रों का आकार छोटा है, वही दूसरी ओर रज़िरव में वन्यजीवों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अतरिक्त बड़े वन्यजीवों जैसे बाघ, हाथी, भालू, आदिके शकारों के पनपने के लयि भी पर्याप्त परविश उपलब्ध नहीं हो पता।
- उपरयुक्त स्थति के कारण वन्यजीव भोजन आदिकी ज़रूरतों के लयि खुले आवासों अथवा मानव बस्तयियों के करीब आने को मजबूर होते हैं। यह स्थति मानव-वन्यजीव संघर्ष (MAC) को जन्म देती है।

वकिसा कार्यों में वृद्धि: वर्तमान में सरकार द्वारा वभिनिन वकिसात्तमक एवं अवसंरचनात्तमक गतविधियों में वृद्धिके लयि वभिनिन नयिम और कानूननों में छूट दी है, इससे राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का वसितार संरक्षति क्षेत्रों के करीब हो सकेगा। इससे मानव-वन्य जीव संघर्ष में और अधकि वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की गई है। इससे पूरव वाणजियक लाभ तथा ट्रॉफी हंटगि (मनोरंजन के लयि शकार) के कारण पहले ही बड़ी संख्या में वन्यजीवों का शकार कयि जाता रहा है।

- टाइगर रज़िरव के आसपास नरिमाण कयि जाने वाली जैसे- राजमार्ग, रेल, सचिाई परयोजनाओं के अतरिक्त प्राकृतिक आवासों से संबंथति कुछ अन्य बड़ी समसयाएँ भी मौजूद हैं। उदाहरण के लयि केन-बेतवा नदी जोड़ो परयोजना के कारण पन्ना टाइगर रज़िरव का 100 वर्ग कमी. क्षेत्र जलमग्न होने की स्थति में है।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कविन्यजीव वशिषज्जों द्वारा अनुमान लगाया गया है कभारत में लगभग 29 प्रतशित बाघ संरक्षति क्षेत्र से बाहर हैं।

वन स्थति रिपोरट-2017 में उल्लेख

- देश के वन क्षेत्र में हो रही वृद्धिनिसिंसंदेह एक सकारात्तमक संकेत है, लेकनि इसके साथ ही वन्यजीवों, वशिषकर तेंदुओं, गुलदारों और बाघों जैसे संरक्षति हसिक जीवों तथा मनुष्यों के बीच होने वाले संघर्ष में वृद्धि चति का कारण बन गई है।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, देश के कुल वन क्षेत्र में लगभग एक प्रतशित की वृद्धिके साथ ही इंसानों के साथ टकराव की जद में रहने वाले बाघ और हाथियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- मंत्रालय से संबद्ध संसद की स्थायी समति की रिपोरट में मानव और वन्यजीव संघर्ष में वृद्धिके कारण हाथी, बाघ एवं तेंदुए जैसे हसिक जानवरों के हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या पर भी चति जताई गई है।
- वनाच्छादति क्षेत्र के वसितार और वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी के समानांतर मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कहि सिक पशुओं के हमलों में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है।

भारत में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वैधानिक प्रावधान

- वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भारत के संवधान में 42वें संशोधन (1976) अधनियिम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48-। व 51 को जोड़कर वन्यजीवों से संबंथति वषिय को समवर्ती सूची में शामिल कयि गया।
- वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधनियिम पारति कयि गया। यह एक व्यापक केन्द्रीय कानून है, जसिमें वलुप्त हो रहे वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणयियों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्यजीवों की चतिनीय स्थति में सुधार एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लयि राष्ट्रीय वन्यजीव योजना 1983 में प्रारंभ की गई।



क्या कया जाना चाहिये ?

- पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कथिदविन्यजीव संरक्षण का कार्य सरिफ संरक्षति क्षेत्त्रों यथा- राषट्टरीय वन्यजीव पार्कों, टाइगर रज़िर्व आदि तक सीमति रहता है तो कई प्रजातयिँ वल्लिप्त होने के कगार पर खड़ी होंगी । उदाहरण के लयि ग्रेट इंडयिा बसट्टरड वन्यजीव संरक्षण आधनियिम की सूची-1 (इस सूची में शामिल वन्यजीवों को हानि पहुँचाना समग्र भारत में प्रतबिंधति है) में शामिल है और इस पक्षी के लयि वशिष अभयारण्य भी स्थापति कयिा गया है फरि भी यह प्रजातविल्लिप्त होने के कगार पर है ।
- वन्यजीवों के लयि सुरक्षति क्षेत्त्र के साथ-साथ इस प्रकार के संरक्षति क्षेत्त्र जो जन भागीदारी पर आधारति हों, के नरिमाण पर भी बल देना चाहिये ।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु एकीकृत पूरव चेतावनी तंत्र (Integrating Early Warning System) की सहायता से नुकसान को कम करने के लयि प्रयास कयिा जा सकता है । इसके लयि खेतों में बाड लगाना तथा पालतू एवं कृषि से संबंधति पशुओं की सुरक्षा के लयि बेहतर प्रबंधन करना आदि उपाय कयिा जा सकते हैं ।
- ऐसे वन्यजीव (हरिन, सुअर आदि) जो बाघ एवं अन्य बड़े पशुओं का भोजन है, के शकिार पर रोक लगानी चाहिये जसिसे ऐसे पशुओं के लयि भोजन की कमी न हो?
- पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उचति वन्यजीव प्रबंधन के प्रयास कयिे जाने चाहिये ताकि आपात स्थति के समय उचति नरिणय लयिा जा सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाली हानि को रोका जा सके ।
- वन्यजीवों से होने वाले फसलों के नुकसान के लयि फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिये इससे स्थानीय कृषकों में वन्यजीवों के प्रतबिदले की भावना में कमी आणी, जसिसे वन्यजीवों की हानि को रोका जा सकता है ।
- भारत में हाँथी गलयिारों का नरिमाण कयिा गया है, इसी तर्ज पर बाघ गलयिारा एवं अन्य बड़े वन्यजीवों के लयि भी गलयिारों का नरिमाण कयिा जाना चाहिये, इसके साथ ही ईको-ब्रजि आदि के नरिमाण पर भी ज़ोर देना चाहिये । इन कार्यों के लयि कॉरपोरेट सामाजकि उत्तरदायतित्व से कोष की प्राप्ति की जा सकती है ।

नषिकर्ष

बाघ जैसे पशु पारस्थितिकि तंत्र के सवास्थय एवं वविधिता में प्रमुख भूमिका नभिते हैं, साथ ही बाघ भारत का राषट्टरीय पशु भी है । इस संदर्भ में भारत सरकार ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की । वर्ष 1973 से अब तक बाघों की संख्या में अचछी खासी वृद्धि हुई है तथा मौजूदा समय में बाघ भारत में अपनी पारस्थितिकि क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं । भारत में बाघों की बढ़ती संख्या मानव-वन्यजीव संघर्ष के रूप में सामने आई है । जीवों की संख्या में वृद्धि स्वस्थ पारस्थितिकि तंत्र का संकेतक होता है । अतः भारत को ऐसे संघर्षों में कमी करने के लयि जीवों के आवास क्षेत्त्र में वृद्धि तथा बफर क्षेत्त्रों आदि के नरिमाण जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रति करना चाहिये । यह भी ध्यान देने योग्य है कि इससे प्रभावति आबादी प्रमुख रूप से समाज के हाशयि पर मौजूद होती है । ऐसे संघर्ष स्थानीय समुदाय को आर्थकि हानि भी पहुँचाते हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

प्रश्न: मानव-वन्यजीव संघर्ष (MAC) मानवों एवं वन्यजीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावति करता है । कथन की वविचना कीजयिे ।